छात्र संघ सामान्य निर्वाचन सत्र 2025-26

छात्रसंघ निर्वाचन नियमावली/आचार संहिता

1. प्रत्याशी महाविद्यालय का **पूर्णकालिक विद्यार्थी** होना चाहिए और उसे **दूरस्थ/व्यक्तिगत शिक्षा** का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी अर्ह प्रत्याशियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए।
2. **स्नातक स्तर** के छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु **17 वर्ष तथा अधिकतम 22 वर्ष से अधिक नहीं** होनी चाहिए एवं **स्नातकोत्तर कक्षा** के प्रत्याशी हेतु **न्यूनतम 17 वर्ष तथा अधिकतम 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए**। आयु की **गणना 01 जुलाई 2025 को मानक तिथि** मानकर की जायेगी।
3. निर्वाचन के दौरान कोई भी व्यक्ति, जो महाविद्यालय का छात्र नहीं है, उसे किसी भी क्षमता में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कोई व्यक्ति, प्रत्याशी अथवा विद्यार्थी इस नियम का उल्लंघन करता है, उसका निर्वाचन रद्द करने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/न्यायालय द्वारा विधिक रूप से दंडित छात्र/छात्रा, छात्र संघ के किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकेगा/सकेगी। इस संबंध में अनिवार्य रूप से शपथ पत्र, **₹10.00** स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कर देना होगा।
5. नियमों के उल्लंघन करने, अपूर्ण नामांकन पत्र जमा करने या पूर्ण सूचना न देने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होने पर किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रत्याशी पूर्णतया स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. कोई भी प्रत्याशी कोई ऐसी गतिविधि अथवा उसका अवप्रेरण नहीं करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो अथवा पारस्परिक विद्धेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद पैदा होता हो।
7. अन्य प्रत्याशियों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यों तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं, जो लोक कार्य-कलापों से सम्बन्धित नहीं हैं, की आलोचना से दूर रहेंगे। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर अप्रमाणित आरोप लगाने अथवा मिथ्या वर्णन करने से भी प्रत्याशी दूर रहेंगे।
8. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।
9. सभी प्रत्याशियों हेतु ऐसे कृत्य अथवा उनका उत्प्रेरण करना, जो कि भ्रष्ट आचरण तथा अपराध की श्रेणी में आते हों, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें आतंकित करना, छद्म मतदाता बनाना, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व तक की अवधि के भीतर जनसभा करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आवागमन अथवा यातायात के साधनों द्वारा लाना-ले जाना प्रतिषिद्ध होगा।

10. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इश्तहार, मुद्रित पैम्पलेट (पुस्तिका) अथवा किसी अन्य मुद्रित सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रचार के लिए प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये, ऐसे इश्तहारों का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।

11. किसी भी प्रत्याशी को परिसर/महाविद्यालय के बाहर जुलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।

12. बिना परिसर/महाविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी भी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों को महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए विरूपित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक रूप से परिसर/महाविद्यालय की सम्पत्ति को विरूपित/क्षतिग्रस्त करने के लिए दायित्वाधीन होंगे।

13. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जुलूस और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के जुलूसों और जनसभाओं से महाविद्यालय में किसी भी प्रकार से कक्षाओं के संचालन और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य-कलापों में व्यवधान नहीं डाला जा सकेगा। ऐसा कोई जुलूस/जनसभा महाविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।

14. प्रचार के उद्देश्य के लिए ध्वनिक्षेपक(लाउडस्पीकर), वाहनों और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।

15. मतदान के दिन विभिन्न छात्र संगठन और प्रत्याशी-

I. निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज अथवा व्यवधान पहुंचाये उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग करेंगे।

II. मतदान के दिन पेयजल के अलावा कोई भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगे।

III. मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।

16. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिपत्र/पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।

चुनाव आयोग/ महाविद्यालय / महाविद्यालय प्राधिकारी निष्पक्ष पर्यवेक्षक नियुक्त कर सकते हैं। स्ववित्तपोषित संस्थाओं के मामलों में सरकारी सेवकों को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जा सकता है। यदि प्रत्याशियों को निर्वाचन संबंधी विशेष शिकायत अथवा समस्या हो, वे इसको पर्यवेक्षक की जानकारी में ला सकते हैं।

17. सभी प्रत्याशी संयुक्त रूप से निर्वाचन सम्पन्न होने के 48 घंटे के अन्दर निर्वाचन स्थल की सफाई करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

18. उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित्व अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। महाविद्यालय प्राधिकारी उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक

19. उपर्युक्त रूप से वर्णित आचार संहिता के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 153-क(विभिन्न वर्गों के मध्य विद्वेष को बढ़ावा देना) और अध्याय 9-क निर्वाचन सम्बन्धी अपराध(रिश्वत देना, अनुचित दबाव डालना, छद्म मतदान, असत्य घोषणा आदि) भी छात्रसंघ निर्वाचन में लागू होंगे।

20. प्रति उम्मीदवार चुनाव व्यय अधिकतम **₹25,000.00** होगा। इस नियम का पालन नहीं करने अथवा अधिक खर्च करने वाले प्रत्याशी का **निर्वाचन रद्द** कर दिया जायेगा।

21. **प्रत्येक प्रत्याशी** को महाविद्यालय की चुनाव समिति को चुनाव परिणाम घोषित होने के **दो सप्ताह** के अन्तर्गत स्वप्रमाणित लेखा प्रस्तुत करना होगा। इस नियम का **पालन नहीं करने** अथवा **अधिक खर्च** करने वाले प्रत्याशी का **निर्वाचन रद्द कर** दिया जाएगा

22. प्रत्याशी छात्र निकाय के सदस्यों से **स्वैच्छिक** अंशदान के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा निकाय अथवा राजनीतिक दलों से निर्वाचन के व्यय के लिए धन प्राप्त नहीं करेगा। प्रत्याशियों/ प्रत्याशी को अन्य स्रोतों से प्राप्त धन को विशेष रूप से निर्वाचन में व्यय करने से रोका जाएगा। निर्वाचन संबंधी खर्चे और वित्तीय जवाबदेही की उपरोक्त अनिवार्यताओं का अनुपालन करने का शपथ पत्र प्रत्याशी के द्वारा परिशिष्ट – 2 के प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

23. नामांकन निर्धारित तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जाएगा।

24. नामांकन प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पूर्ण करना आवश्यक होगा। अपूर्ण नामांकन प्रपत्र निरस्त (रद्द) कर दिया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सबन्धित प्रत्याशी की होगी।

25. छात्र संघ के सभी पदों हेतु नामांकन प्रपत्र शुल्क ₹150.00 तथा नामांकन शुल्क अध्यक्ष पद हेतु मूल्य ₹1200, उपाध्यक्ष एवं सचिव पद हेतु मूल्य ₹1000, तथा सह सचिव, कोषाध्यक्ष, और विश्वविध्यालय प्रतिनिधि हेतु मूल्य ₹600 निर्धारित है।

26. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर प्रत्याशी द्वारा अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ चिपकाना अनिवार्य है।

27. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम वर्ष / सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण से अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण तक सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं, आधार कार्ड, महाविद्यालय पहचान पत्र एवं फीस रसीद की प्रमाणित छाया प्रतियां तथा समस्त शपथ पत्र (परिशिष्ट – 2 के अनुसार) संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा अथवा रद्द कर दिया जाएगा।

28. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थानों पर प्रत्याशी / प्रस्तावक / अनुमोदक का वही नाम अंकित होना चाहिए जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार संबंधित संस्था में दर्ज किया गया हो। कोई भी उपनाम मान्य नहीं होगा। नाम / नामों में भिन्नता होने अथवा उप नाम लिखे होने की स्थिति में नामांकन रद्द कर दिया जाएगा।

29. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। अभ्यर्थी के द्वारा इस संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

30. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक – एक प्रस्तावक और एक – एक अनुमोदक होगा जो उसी संस्था का संस्थागत छात्र / छात्रा होगा / होगी।

31. किसी एक प्रत्याशी का प्रस्तावक और अनुमोदक किसी भी अन्य प्रत्याशी का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक नहीं हो सकता।

32. सक्षम समिति / अधिकारी के सम्मुख नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी, उसके प्रस्तावक और अनुमोदक को स्वयं उपस्थित होकर नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान में हस्ताक्षर करने होंगे।

33. नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय प्रत्याशी, प्रस्तावक और अनुमोदक द्वारा संस्था का वर्तमान शिक्षा सत्र का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

34. कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद हेतु नामांकन दाखिल नहीं कर सकेगा।

35. कतिपय छात्र – छात्राओं द्वारा छात्र संघ चुनाव हेतु **विगत सत्र में बैक अथवा अनुत्तीर्ण होने के कारण पुनः संबंधित संकाय परिवर्तन एवं विषय परिवर्तन कर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर में एन० ई० पी० 2020 के तहत प्रवेश लिया गया हो ऐसे छात्र – छात्राओं के संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया गया कि वे छात्र संघ चुनाव लड़ने हेतु सत्र 2025 – 26 हेतु अर्ह नहीं माने जाएगें।**

36. किसी पद के लिए केवल एक वैध नामांकन पत्र अथवा एक ही नामांकन होने की स्थिति में संबंधित प्रत्याशी को निर्विरोध घोषित कर दिया जाएगा।

37. प्रत्याशी को नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट – 2) में नामांकन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्र संघ संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा/ करेगी। **आचार संहिता का उल्लंघन** करने की दशा में उसे छात्र संघ **निर्वाचन प्रक्रिया से अलग** कर दिया जायेगा। ऐसा शपथ पत्र रु 10/ - के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिश्नर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

38. नामांकन प्रपत्र तथा नामांकन **शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं** किया जाएगा।

39. किसी भी पद पर चुनाव में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्रा के लिए आवश्यक है कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हो अथवा किसी भी शैक्षणिक सत्र / किसी भी सेमेस्टर में बैक पेपर नहीं होना चाहिए।

40. **नामांकन** पत्रों की प्रविष्टि एवं नामांकन पत्र की जाँच के समय उम्मीदवार की उपस्थिति अनिवार्य है। अनुपस्थिति की स्थिति में नामांकन पत्र अमान्य कर दिया जाएगा।

41. नामांकन वापसी हेतु प्रत्याशी द्वारा **दो साक्ष्यों** जो संस्था में **संस्थागत छात्र** – छात्रा होंगे, के साथ निर्धारित **प्रारूप** में (परिशिष्ट – 03) निर्धारित तिथि और समय के भीतर सक्षम अधिकारी के सम्मुख आवेदन करना **होगा।**

42. आवेदन करते समय प्रत्याशी एवं साक्ष्यों को **संस्था का अपना परिचय** प्रस्तुत करना होगा।

43. नामांकन वापसी के बाद ही वैध उम्मीदवारों की अंतिम सूची छात्र संघ प्रभारी के हस्ताक्षर से पदवार **रोमन (अंग्रेजी) वर्णमाला क्रम में** जारी/ प्रकाशित की जाएगी।

44. **समान नाम वाले प्रत्याशी** – यदि किसी एक पद पर एक ही नाम के एक से अधिक प्रत्याशी हों, तो प्राथमिकता क्रम में **सर्वप्रथम जन्मतिथि** को आधार माना जाएगा एवं ज्येष्ठ आयु वाले प्रत्याशी को समान

नाम वाले प्रत्याशियों की तुलना में पहला क्रमांक दिया जाएगा। यदि जन्मतिथि भी समान हो, तो **तत्पश्चात पिता** के नाम का क्रम **अंग्रेजी वर्णमाला** के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त सब समान होने पर माता का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम निर्धारित किया जाएगा।

45. नामांकन पत्र के साथ जन्मतिथि सत्यापन हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र एवं वर्तमान कक्षा की शुल्क रसीद की छायाप्रति आवश्यक है।

46. मतदान लोकतान्त्रिक तरीके से **एक पद एक मत** के आधार पर, **गुप्त मतदान पद्धति** के आधार पर कराया जाएगा ।

47. छात्र संघ चुनाव 2025–26 की अधिसूचना जारी होने के तुरन्त बाद महाविद्यालय परिसर में चुनाव आचार संहिता (निर्वाचन समिति के अनुसार) लागू कर दी जाएगी ।

48. महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/न्यायालय द्वारा निलंबित छात्र/छात्रा एवं दंडित छात्र/छात्रा किसी भी पद का चुनाव नहीं लड़ सकते/ सकती। उक्त स्थिति में नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा।

49. नियमों के उल्लंघन करने, अपूर्ण नामांकन पत्र भरने एवं समय पर नामांकन पत्र न देने की स्थिति में नामांकन पत्र रद्द होने पर किसी भी प्रकार की वापसी की स्थिति प्रत्याशी पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होगा।

50. निर्वाचन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता एवं आचार संहिता उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

51. यदि प्रत्याशी चाहे तो मतदान स्थल(कक्ष) पर स्वयं उपस्थित रह सकता है, लेकिन उसकी उपस्थिति के दौरान प्रत्याशी का अभिकर्ता मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होगा। कोई भी मतगणना अभिकर्ता मतगणना से पूर्व मतगणना स्थल नहीं छोड़ेगा।

52. मतदाता द्वारा संस्था का वर्तमान सत्र का विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा निर्गत परिचय पत्र संबंधित मतदान स्थल के अधिकारियों को दिखाने पर ही उसे मतदान का अधिकार दिया जाएगा।

53. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का **हथियार एवं विस्फोटक सामग्री लाना** वर्जित है।

54. अनुशासनहीनता/ गुटबाजी/हिंसा/मारपीट/अभद्रता/ अश्लीलता करने वाले के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

55. चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण हेतु महाविद्यालय की **ग्रीवांस समिति** में आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।

56. यदि मतदान प्रारंभ होने से **5 मिनट पूर्व** तक कोई प्रत्याशी/ अभिकर्ता मतदान स्थल पर **उपस्थित नहीं** होता है तो मतदान अधिकारी मतपेटी सील बंद कर निर्धारित समय में **मतदान प्रारंभ** करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

57. प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों द्वारा मतदान स्थल के भीतर तथा संस्था, परिसरों के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा, अन्यथा इसे निर्वाचन आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

58. मतगणना अधिकारियों की मतगणना अंतिम मानी जाएगी और यह गणना संस्थाध्यक्ष/ प्राचार्य अथवा छात्र संघ प्रभारी द्वारा निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी।

59. यदि किसी पद हेतु निर्वाचित प्रत्याशी और उसके निकटतम प्रतिद्वंदी के बीच अधिकतम 3 मतों का अंतर है अर्थात् हार जीत का अंतर **अधिकतम तीन (3) मतों** का होने पर निकटतम प्रतिद्वंदी (हारने वाला प्रत्याशी) यदि चाहे तो परिणाम की घोषणा के 30 मिनट के भीतर रु. 500/ - मात्र की धनराशि जो किसी भी दशा में लौटायी नहीँ जायेगी के साथ पुनर्मतगणना हेतु मुख्य निर्वाचन हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। पुनर्मतगणना का परिणाम अंतिम और सर्वमान्य होगा। तत्पश्चात् कोई मतगणना नहीं की जाएगी।

60. छात्रसंघ चुनाव में जब दो प्रत्याशियों को **समान मत प्राप्त** होंगे तो विजेता का चुनाव **लॉटरी के पर्ची** विधि से होगा।

61. परिणाम घोषित होने के बाद यथाशीघ्र सभी निर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण संपन्न कराया जाएगा।

62. छात्र संघ व कार्यकरिणी 2025–26 का कार्यकाल छात्र संघ गठन की तिथि से 30 जून 2026 तक होगा।

63. छात्र संघ चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया शांति, अनुशासन एवं **चुनाव आयोग की आचार संहिता** के अनुसार संपन्न होगी।

64. चुनाव संबंधी किसी भी विवाद पर महाविद्यालय प्रशासन का निर्णय सर्वमान्य होगा।

नोटः महाविद्यालय संविधान एवं लिंगदोह समिति की सिफारिशों में निर्दिष्ट आचार संहिता से सम्बन्धित अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे।

प्राचार्य / संरक्षक
छात्र संघ
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनी , रुद्रप्रयाग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
छात्र संघ
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनी , रुद्रप्रयाग